न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 25/2024
(GCMS 2024/91)(212505850943596)

श्री जय अरोड़ा वार्ड नं. 37 नया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 9649622999)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

07.05.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जय अरोड़ा एवं अप्रार्थी नगरपालिका, सूरतगढ़ के प्रतिनिधि श्री विकास कुमार, कनिष्ठ अभियंता उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी श्री जय अरोड़ा ने कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2024 को प्रस्तुत करके एक बिन्दु की सूचना चाही गई थी और उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने उसका प्रार्थना पत्र नगरपालिका, सूरतगढ को हस्तान्तरित कर दिया गया हैं। नगरपालिका, सूरतगढ़ ने उसे आज दिनांक तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसलिए उसने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत करके सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत नगरपालिका, सूरतगढ़ की ओर से उपस्थित श्री विकास कुमार, कनिष्ठ अभियंता ने कथन किया कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ ने अपने पत्रांक 47 दिनांक [illegible].05.[illegible]24 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है इसलिए अपील[illegible] की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जय अरोड़ा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.02.2024 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थी:

> उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके अधिकार क्षेत्र में चरण सिंह चौक बड़ोपल बस स्टैंड जो कि यातायात को अवरूद्ध करता है वह बस स्टैंड प्रशासन द्वारा स्वीकृत संचालित हो रहा है या नहीं कृपया करके अवगत करवाऐं तथा अगर प्रशासन द्वारा स्वीकृत नहीं है तो कृपया नगरपालिका द्वारा स्वीकृत प्राइवेट बस स्टैंड में इन्हें सुचारू रूप से चलाया जाए जिससे आमजन को हो रही परेशानी से राहत मिले।

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपील का जवाब अपने पत्रांक सूकाअ/2024/531 दिनांक 06.05.2024 से निम्नानुससार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के संलग्न प्रार्थी जय अरोड़ा के अपील प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार है।
>
> प्रार्थी जय अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 37 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन क्रमांक 21283490173367 इस कार्यालय में ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक 06.02.2024 को प्राप्त हुआ।
>
> प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना [illegible] (1) अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका [illegible] (2) [illegible] अधिकारी, यातायात सूरतगढ़ से होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ/2023/198—99 दिनांक 08.02.2024 द्वारा सूचना का अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत आवेदन ऑलाईन हस्तान्तरित किया गया था। जिसकी सूचना पत्र क्रमांक 200 दिनांक 08.02.2024 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी को भी दे दी गई थी। प्रार्थी को नियमानुसार सूचना (1) अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, सूरतगढ़ व (2) प्रभारी अधिकारी यातायात सूरतगढ़ द्वारा उपलब्ध करवाई जानी थी। प्रार्थी द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के विरूद्ध उक्त अपील गलत रूप से प्रस्तुत की गई है। अतः अपील निरस्त करने की मेहरबानी फरमावें।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूकाअ/2023/198—200 दिनांक 08.02.2024 की छायाप्रति पत्र के संलग्न सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक सामान्य/आर.टी.आई./2024/47 दिनांक 06.05.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया हैः

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा उपरोक्त प्रसांगिक प्रार्थना पत्र (आवेदन) प्रस्तुत करसूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6(1) अन्तर्गत सूचना चाही गई है। जो निम्नानुसार हैः —

श्रीमानजी पालिका रिकार्ड अनुसार भगत सिंह चौक बड़ोपर रोड़ पर कोई बस स्टैण्ड स्वीकृत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि **उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा** अपने पत्र दिनांक 08.02.2024 से अपीलार्थी की अपील अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ को हस्तान्तरित कर दी थी और अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया था। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ ने अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 06.05.2024 से सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जो सही है। साथ ही **अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को** अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ **के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भी नहीं है। इसलिए** क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:11 IST
Reason: SelfAttested